

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224097
SG-DL-E-01012021-224097

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 248
No. 291]	DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942	[N. C. T. D. No. 248

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग

[कार्यालय सचिव सह-विकास-आयुक्त (विकास)]

अधिसूचना

दिल्ली, 25 नवम्बर, 2020

सं. फा. 56(333)/07/वि. (मु.)/2685-2692.—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) के अन्तर्गत बनाये गये बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खंड-2 के उपखंड (जे) के साथ पठित खंड-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक: 02 अगस्त, 2017 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. फा. 56(333)/07/वि. (मु.)/1390-1398 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र के लिए पूर्वोक्त आदेश के प्रयोजनार्थ विकास विभाग के अग्रोनॉमिस्ट को लाइसेंसिंग प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
आर. पी. मीणा, विशेष विकास आयुक्त

DEVELOPMENT DEPARTMENT

[OFFICE OF THE SECRETARY-CUM-COMMISSIONER (DEV.)]

NOTIFICATION

Delhi, the 25th November, 2020

No. F. 56(333)/07/Dev.(HQ)/2685-2692.—In exercise of the powers conferred by clause 11 read with sub-clause (j) under clause 2 of the Seeds (Control) Order, 1983 made under the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) and in supersession of their earlier notification number F. 56(333)/07/Dev.HQ/1390-1398, dated the 2nd August, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the Agronomist of the Development Department to be the Licensing Authority for the purpose of said Order for the geographical area of National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Government
of National Capital Territory of Delhi,
R.P. MEENA, Spl. Development Commissioner